



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(36)LC/RTTP/20/ 10690

Date:- 28-09-2020

अतिआवश्यक

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाई:- विद्युत-प्रथम, जयपुर।

विषय:- द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा द्वितीय अपील 36/2020, मैसर्स देवदशरथ माईन्स एण्ड मिनरल्स बनाम परियोजना निदेशक, इकाई - उदयपुर, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2020 आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।
महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2020 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि विभाग को देने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
Ruchi
(रुचि अग्रवाल)
वरिष्ठ विधि अधिकारी

कार्यालय द्वितीय अपील प्राधिकारी – प्रबन्धक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर

अपील संख्या 36 / 2020

मैसर्स देवदशरथ माईन्स एण्ड मिनरल्स

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – उदयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

उपरिस्थित –

- | | |
|----------------|---|
| 1. अपीलार्थी | – प्रतिनिधि श्री अधिवक्ता डेविड महला |
| 2. प्रत्यार्थी | – परियोजना निदेशक यूनिट – उदयपुर,
आर.एस.आर.डी.सी.लि. |

निर्णय

दिनांक :-

यह कि आर.एस.आर.डी.सी. मुख्यालय द्वारा अल्प ई निविदा सूचना संख्या 71/2020-21 उदयपुर सलुम्बर टोल रोड पर 24 माह की अवधि के लिए टोल संग्रहण हेतु दिनांक 23.06.2020 को जारी कर निविदा आमंत्रित की गई।

यह कि आमंत्रित निविदा के लिए यह सूचित किया गया कि निविदा कर्ता निविदा में वर्णित सूचना में वर्णित प्रक्रिया एवं शर्तों की पालना कर निविदा प्रपत्र को वेबसाइट पर दिनांक 25.06.2020 प्रातः 9 बजे से दिनांक 01.07.2020 सायं 6 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं, एवं इसके लिए परियोजना निदेशक कार्यालय में निविदा कर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2020 से 01.07.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है एवं निर्धारित वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

यह कि निविदा सम्बन्धित परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. कार्यालय में खोलने की दिनांक 02.07.2020 प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई। जिसे संशोधित कर दिनांक 09.07.2020 तक विस्तारित किया गया, दिनांक 09.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे निविदा को खोला गया। यह कि निविदा सूचना में वर्णित सभी औपचारिकता पूर्ण कर कुल 9 निविदा कर्ताओं द्वारा निविदा अपलोड की गई। सभी निविदाकर्ताओं के दस्तावेजों का तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया गया, मात्र एक निविदाकर्ता मैसर्स गणेश रसिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निविदा की शर्त संख्या 3 के अनुरूप पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत नहीं करने के कारण निविदा स्वीकार नहीं की गई, शेष 8 निविदा कर्ताओं को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया।

यह कि दिनांक 10.07.2020 को वित्तीय निविदा खोली गई। समिति के निर्णय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जिसमें अपीलान्त की दर उच्चतम होने के आधार पर निविदा को स्वीकार किया जाकर सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेप्टेन्स जारी किया गया।

11/52

यह कि अपीलान्त द्वारा लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स के विरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत धारा 38 में अपील दिनांक 14.08.2020 को प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रथम प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा निर्णय दिनांक 18.09.2020 से निरस्त किया गया। अपीलान्त द्वारा प्रथम प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 18.09.2020 एवं प्रतिपक्ष द्वारा पुनः जारी लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स दिनांक 20.08.2020 के विरुद्ध वर्तमान द्वितीय अपील दिनांक 25.09.2020 को निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई:-

यह कि अपीलान्त द्वारा प्री बिड मिटिंग ना होने के कारण प्रबन्ध निदेशक आर.एस.आर.डी.सी. को पत्र दिनांक 7.07.2020 से यह जानना चाहा कि वर्तमान संचालित टोलों पर कोविड- 19 के सन्दर्भ में आदेश दिनांक 05.06.2020 द्वारा टोल संग्रहण में प्रदत्त 20 प्रतिशत की छूट जों कि दिनांक 07.09.2020 तक प्रभावी है, एवं आगे भी रिव्यू किया जाना है, यह छूट इस निविदा पर प्रभावी रहेगी या नहीं एवं भविष्य में जो होता है वह लागू रहेगा या नहीं, का शीघ्र जवाब देने हेतु अनुरोध किया। तथा पुनः दिनांक 09.07.2020 को स्मरण पत्र जारी करते हुये दिनांक 05.06.2020 का आदेश वर्तमान निविदा पर प्रभावी रहेगा या नहीं, के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया।

अपीलान्त का कथन है कि अपीलान्त द्वारा दिनांक 09.07.2020 को ही पत्र द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि आदेश दिनांक 05.06.2020 में दी गई राहत इस निविदा पर प्रभावी है तभी अपीलान्त की निविदा प्रपत्र को निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जाये अन्यथा नहीं। परन्तु प्रतिपक्ष द्वारा अपीलान्त के पत्र दिनांक 07.07.2020 का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया एवं ना ही उनके पत्र दिनांक 9.07.2020 को निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया। अपितु प्रतिपक्ष द्वारा अपीलान्त की कन्डीशनल बिड को स्वीकार कर दिनांक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी कर दिया गया। अपीलान्त का कथन है कि प्रतिपक्ष द्वारा जारी लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स दिनांक 07.08.2020 एवं 20.08.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलान्त को 20 प्रतिशत छूट का लाभ प्रदत्त किया जाये।

प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक उदयपुर द्वारा अपील का जवाब दिनांक 28.09.2020 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 जो कि पूर्व में जारी निविदाओ के आधार पर संचालित टोल रोड पर टोल संग्रहण के लिए निर्धारित किस्त में दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट से सम्बन्धित है, इस आदेश का सम्बन्ध वर्तमान आमंत्रित निविदा से नहीं होने के कारण ही वर्णित आदेश को निविदा दस्तावेज में अपलोड नहीं किया गया है। एवं ना ही अपीलान्त द्वारा वांछित स्पष्टीकरण कि "कार्यालय आदेश दिनांक 05.06.2020 की छूट इस निविदा में प्रभावी है अथवा नहीं" से सम्बन्धित पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 को निविदा प्रपत्र के साथ डाउनलोड नहीं करने के कारण राजस्थान लोक उपापन अधिनियम एवं नियम के तहत विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया। प्रतिपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया

M/S

कि जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.08.2020 द्वारा कोविड- 19 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में शनिवार रात्रि 9 बजे सोमवार प्रातः 5 बजे तक अस्थाई रूप से समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। जिसमें हाईवे बाईपास गुजरने वाले वाहन (निजि,व्यवसायिक,वाणिज्य) को प्रतिबन्धित नहीं किया गया।

यह कि प्रतिपक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलान्ट का यह कथन कि डाउनलोड की गई निविदा सशर्त थी, सही नहीं है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा निविदा प्रपत्र भरते समय 20 प्रतिशत छूट से सम्बन्धित कोई दस्तावेज निविदा के साथ डाउनलोड नहीं किया गया था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक आर.एस.आर.डी.सी.- उदयपुर को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 28.09.2020 को सुना गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का मूलरूप से यह कथन है कि राजस्थान लोक उपापन अधिनियम की धारा 22 में निविदा पूर्व स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रावधान है इसी के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2020 जो कोविड- 19 के अन्तर्गत विभाग द्वारा टोल संग्रहण में दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट से सम्बन्धित है, वर्तमान निविदा में प्रभावी रहेगी या नहीं एवं भविष्य में जो होता है, वह लागू रहेगा या नहीं का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। वांछित स्पष्टीकरण का जवाब अपीलान्ट को नहीं दिया गया, अपीलान्ट की बिड कन्डीशनल होते हुये भी अपीलान्ट को निविदा में वर्णित टोल रोड पर टोल संग्रहण के लिए सफल मानते हुए दिनांक 07.08.2020 को लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी किया गया।

अपीलान्ट का कथन है कि कोविड- 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 की छूट अपीलान्ट को दिये बिना लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स जारी किया गया है, इसलिए उसे निरस्त किया जाये तथा प्रतिपक्ष को यह आदेशित किया जाये कि कोविड- 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक 05.06.2020 से प्रदत्त छूट 20 प्रतिशत का लाभ अपीलान्ट को दिलाया जाये।

प्रतिपक्ष परियोजना निदेशक- उदयपुर द्वारा यह कथन किया गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 05.06.2020 जो कोविड- 19 के सन्दर्भ में जारी आदेश दिनांक से पूर्व में संचालित टोल रोड पर लिए जाये जाने वाले टोल किस्तों में दी जाने वाली अस्थाई 20 प्रतिशत छूट से सम्बन्धित है, ना की वर्तमान में जारी निविदाओं पर। वर्तमान निविदा के लिए जारी निविदा दस्तावेज में कोविड- 19 से सम्बन्धित आदेश दिनांक 05.06.2020 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि यह आदेश भावी निविदाओं से सम्बन्धित नहीं था। अपीलान्ट द्वारा विभाग को दिया गया पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 के वांछित स्पष्टीकरण निविदा में अपलोड दस्तावेज से सम्बन्धित नहीं था, ना ही अपीलान्ट द्वारा उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 को निविदा में डाउनलोड किया गया था, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण अपीलान्ट को दिया जाना नियम अनुकूल भी नहीं था।

यह है कि अपीलान्ट ने उनके पत्र दिनांक 07.07.2020 एवं 09.07.2020 के सन्दर्भ में तकनीकी मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 09.07.2020 को एवं वित्तीय निविदा खोलते समय भी

॥३२

किसी भी प्रकार की आपत्ति समिति के समक्ष प्रदत्त नहीं की, ना ही निविदा की प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रयत्न किया गया, ना ही इस क्रम में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम में प्रदत्त नियम 38 के तहत समक्ष प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर उक्त निविदा को निरस्त कराने का प्रयास किया। अपीलान्त द्वारा सोच- समझ कर निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित किस्त में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से जारी लेंटर ऑफ एक्सेपटेन्स के विरुद्ध यह अपील दायर की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का जवाब तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2020 का अनुशीलन, अवलोकन व विवेचन किया गया, उभयपक्षकारान को सुना गया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2020 राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम में प्रदत्त प्रावधान के आधार पर पारित किया गया है, निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसलिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार निरस्त की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.09.20 को जारी किया गया।

द्वितीय अपील प्राधिकारी ,

(प्रबन्धक निदेशक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।